न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड, आर.ए.एस.

वादी :–

शिम्भूसिह गोदपुत्र गुमानसिह राजपूत
निवासी बाण्डाहेड़ा तह. परबतसर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. हरलाल पुत्र बींजाराम मेघवाल
2. भंवरसिंह पुत्र लादूसिंह राजपूत
4. उमरावसिह पुत्र लादूसिंह राजपूत
5. प्रेमसिंह पुत्र लादूसिंह राजपूत
   निवासी बाण्डाहेड़ा तह. परबतसर
6. तहसीलदार, परबतसर

दावा बाबत :– खातेदारी धोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री माधोप्रसाद अधिवक्ता वादी

श्री तिलोकनाथ अधिवक्ता प्रतिवादी 2 से 4

मुकदमां नम्बर :–25/2016

निर्णय दिनांक :– 24.2.20

निर्णय

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री माधोप्रसाद ने यह वाद पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम बाण्डाहेड़ा के खसरा नम्बर 134 रकबा 0.57 हैक्टयर भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं। वास्तविक वादी का कब्जा काश्त ग्राम बाण्डाहेड़ा के खसरा नम्बर 146 रकबा 1.73 हैक्टयर में से 0.57 हैक्टयर भूमि पर है। मौके पर वादी काबिज हैं राजस्व रिकार्ड में वादी की खातेदारी लिपकीय गलती से खसरा नम्बर 134 में दर्ज हो गई जबकि वादी खसरा नम्बर 134 का काबिज खातेदार नहीं है। खसरा नम्बर 134 पर हरलाल पुत्र बींजाराम मेघवाल काबिज हैं परन्तु उसका नाम खातेदारी में दर्ज नहीं हो रखा हैं। खसरा नम्बर 146 के अपने खातेदारी के क्षेत्र पर काबिज काश्तकार हैं यह व्यवस्था उसके पिता के काल से ही निरन्तर चली आ रही हैं जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हुआ हैं इस कारण वादी अपनी खातेदारी खसरा नम्बर 134 के स्थान पर खसरा नम्बर 146 में अपने खातेदारी क्षेत्र के अनुसार करवाये जाने का अधिकारी है। वादी ने वाद पेश कर ग्राम बाण्डाहेडा के खसरा नम्बर 146 में रकबा 0.57 हैक्टयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने एवं खसरा नम्बर 134 में से उसकी खातेदारी से नाम हटवाये जाने एवं खसरा नम्बर 146 में से 0.57 हैक्टयर भूमि वादी के कब्जा काश्त से बेदखल नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने की इस्तदुआ चाही है।
2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 1 ने दिनांक 11.04.2016 को इकबालिया जवाब पेश कर वादी के वाद को स्वीकार किया है। प्रतिवादी 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता तिलोकनाथ ने जवाब पेश कर वादी के वाद को अस्वीकार करते हुए मौजा बाण्डाहेड़ा के खसरा नम्बर 146

Scanned by CamScanner

की खातेदारी प्रतिवादी 2 से 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना बताया है गिरदावरी भी प्रतिवादी 2 से 4 के नाम राजस्व रेकर्ड में निरन्तर गैरमुमकिन से आज तक दर्ज होना बताया है। प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि की भूमि को वादी को अपने नाम खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं है। वादी कभी खसरा नम्बर 146 का न तो खातेदार दर्ज रहा है न ही काश्तकार दर्ज रहा है। वादी ने झूठे तथ्यों के आधार पर बिना हक व अधिकार के प्रस्तुत किया गया है वादी का दावा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। वाद में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

1- आया राजस्व ग्राम बाम्बाहेड़ा के खसरा नम्बर 134 रकबा 0.57 हैक्टेयर का वादी रेकर्डेड खातेदार है जबकि खसरा नम्बर 146 रकबा 1.73 हैक्टेयर में से 0.57 हैक्टेयर पर वादी का प्रारम्भ से कब्जा काश्त है जिससे वादी रेकार्ड दुरूस्त करवाकर खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है ? जिम्मे वादी

2- आया बाद घोषणा वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार है ? जिम्मे वादी

3- आया खसरा नम्बर 146 की भूमि प्रतिवादीगण 2 से 4 की खातेदारी शुदा कब्जा काश्त की भूमि है जिससे वादी को खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकार नहीं है ? जिम्मे प्रतिवादी 2 से 4

4- आया खसरा नम्बर 146 में दखलन्दाजी नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण 2 से 4 वादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी हैं? जिम्मे प्रतिवादी 2 से 4

3. वाद में तनकीयात कायम होने के बाद साक्ष्य वादी में पी. डब्ल्यू. – 1 वादी शिम्भुसिंह, पी. डब्ल्यू – 2 गवाह पाबूराम, पी. डब्ल्यू – 3 गवाह जानकीदेवी तथा पी.डब्ल्यू – 4 रसूलीदेवी व पी.डब्ल्यू – 5 आईदानसिंह के बयान लिये गये और साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर साक्ष्य प्रतिवादी में डी.डब्ल्यू– 1 भंवरसिंह के तथा डी. डब्ल्यू – 2 पप्पूराम के बयाने लिये गये और साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम बाम्बाहेड़ा के खसरा नम्बर 134 रकबा 0.57 हैक्टयर, 146, 153 कुल रकबा 3.76 हैक्टयर भूमि की सम्वत 2070–73 प्रदर्श– 2 एवं नक्शा ट्रैस प्रदर्श– 1 पेश किया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। प्रतिवादी 2 से 4 ने अपने जवाब की तायद में खसरा नम्बर 134 रकबा 0.57 हैक्टयर जमाबन्दी सम्वत 2070–73 प्रदर्श– 1 व खसरा नम्बर 146 रकबा 1.73 हैक्टयर प्रदर्श– 2ए, खसरा मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 3ए, गिरदावरी सम्वत 2010–13 प्रदर्श– 4ए, सम्वत 2018 से 2023 प्रदर्श– 5ए, सम्वत 2024 से 2027 प्रदर्श– 6ए पेश की है। तत्पश्चात उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया

बहस पर मनन किया गया। वादी के वाद व प्रतिवादी 2 से 3 के काउन्टर क्लेम का तनकीवार निर्णय इस प्रकार से है कि :–

1– आया राजस्व ग्राम बाण्डाहेड़ा के खसरा नम्बर 134 रकबा 0.57 हैक्टयर का वादी रेकर्डेड खातेदार हैं जबकि खसरा नम्बर 146 रकबा 1.73 हैक्टयर में से 0.57 हैक्टयर पर वादी का प्रारम्भ से कब्जा काश्त हैं जिससे वादी रेकर्ड दुरूस्त करवाकर खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी हैं।

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था वादी के अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया हैं कि ग्राम बाण्डाहेड़ा के खसरा नम्बर 134 रकबा 0.57 हैक्टयर भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज चली आ रही हैं लेकिन शुरू से ही वादी का कब्जा काश्त खसरा नम्बर 146 रकबा 1.73 हैक्टयर भूमि में 0.57 हैक्टयर भूमि पर चला आ रहा हैं, लिपिकिय भूल से वादी की खातेदारी खसरा नम्बर 134 में अंकित हो गई हैं, जिससे वादी वास्तविक कब्जे काश्त के अनुसार खसरा नम्बर 146 में 0.57 हैक्टयर भूमि की खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी हैं। प्रतिवादी 2 से 4 के अधिवक्ता ने जबाब में बताया है कि खसरा नम्बर 146 रकबा 1.73 हैक्टयर भूमि के प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा वक्त सेटलमेन्ट के समय ही प्रतिवादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। जिसके समर्थन में प्रतिवादी ने जमाबन्दी सम्वत 2070–73 प्रदर्श– 3ए पेश की हैं जिसमें खसरा नम्बर 146 रकबा 1.73 हैक्टयर भूमि भंवरसिंह,अमरावसिंह प्रेमसिंह पि. लादूसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड हैं तथा सम्पूर्ण भूमि जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा पीह के रहन दर्ज रिकार्ड हैं। खसरा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 146 रकबा 1.73 हैक्टयर भूमि गत खसरा नम्बर 85/6 से बना हैं सम्वत 2010 से 2031 तक की गिरदावरी पेश की हैं जिसमें गत खसरा नम्बर 85/6 में वादी व वादी के पिता के नाम काश्त दर्ज रिकार्ड नहीं हैं। नही खसरा नम्बर 146 की भूमि में 0.57 हैक्टयर भूमि पर वादी का कब्जा काश्त हो या पूर्व में कभी रहा हो इसकी तायद वाद द्वारा प्रस्तुत गवाहो ने भी नहीं की है। खसरा नम्बर 146 में 0.57 हैक्टयर भूमि पर वादी का कब्जा काश्त रहा हैं इस सम्बन्ध में वादी ने कोई दस्तावेज पेश नही किया हैं न ही मौखिक साक्ष्यों द्वारा इस तथ्य की तायद की गई हैं कि खसरा नम्बर 146 में वादी का कब्जा काश्त हो। वादी ने वाद में अंकित किया हैं कि लिपिकिय त्रुटिवंश खसरा नम्बर 134 में वादी की खातेदारी दर्ज हो गई हैं लेकिन वास्तविक रूप से खसरा नम्बर 146 में कब्जा काश्त हैं। इस सम्बन्ध में भी वादी ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं जिससे यह साबित होता हो कि पूर्व में वादी की खातेदारी सही थी तथा बाद में लिपिकिय त्रुटि से खसरा नम्बर 134 में खातेदारी दर्ज हो गई हो। जिससे यह तनकी वादी के पक्ष में सिद्ध नहीं होती हैं तनकी संख्या 1 वाद के विरूद्ध तय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner

2– आया बाद घोषणा वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार हैं।

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था तनकी संख्या 1 के विस्तृत विवचेन के अनुसार तनकी संख्या 1 सिद्ध करने में असफल रहा हैं, जिससे वादी को खसरा नम्बर 146 रकबा 1.73 हैक्टयर भूमि में 0.57 हैक्टयर भूमि की खातेदारी पाने का अधिकारी नहीं हैं। प्रतिवादी 2 से 4 इस भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं जिनको वादी स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का कानून अधिकारी नहीं है। जिससे तनकी संख्या 2 वादी सिद्ध करने में असफल रहा है। तनकी संख्या 2 वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

3– आया खसरा नम्बर 146 की भूमि प्रतिवादीगण 2 से 4 की खातेदारी सुदा कब्जा काश्त की भूमि हैं जिसमें वादी को खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकार नहीं हैं।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी 2 से 4 पर था जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादी के अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया हैं कि खसरा नम्बर 146 के प्रतिवादी 2 से 4 खातेदार काश्तकार हैं तथा वक्त सेटलमेन्ट के समय से ही प्रतिवादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजो के खातेदारी दर्ज रही हैं। इस भूमि में वादी व वादी के पूर्वज न तो खातेदार रहे हैं न ही कभी इनका कब्जा काश्त रहा हैं जिसके सम्बन्ध में जमाबन्दी सम्वत 2070–73 पेश की हैं जिसमें प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार हैं तथा गिरदावरी सम्वत 2010 से 2031 पेश की हैं, खसरा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 146 के गत खसरा नम्बर 85/6 थे जिसमें गिरदावरी के अनुसार न तो वादी का कब्जा काश्त हैं न ही वादी के पूर्वजो का कब्जा कातश दर्ज हैं। दस्तावेजी साक्ष्य से साबित होता हैं कि उक्त खसरा नम्बर 146 गत खसरा नम्बर 85/6 कभी वादी के या वादी के पूर्वजो के नाम खातेदारी दर्ज नहीं रही हैं न ही कभी वादी या वादी के पूर्वजो का इस भूमि पर कब्जा काश्त रहा हैं। जिससे साबित होता हैं कि वादी खसरा नम्बर 146 रकबा 1.73 हैक्टयर में 0.57 हैक्टयर भूमि की खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं है। तनकी संख्या 3 प्रतिवादी 2 से 4 सिद्ध करने में सफल रहे हैं। तनकी संख्या 3 प्रतिवादी 2 से 4 के पक्ष में तय की जाती है।

4– आया खसरा नम्बर 146 में दखलन्दाजी नही करने हेतु प्रतिवादीगण 2 से 4 वादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी 2 से 4 पर था जिसके समर्थन में वादी ने ग्राम बाण्डाहेड़ा की जमाबन्दी सम्वत 2070–73 पेश की हैं जिसमें खसरा नम्बर 146 रकबा 1.73 हैक्टयर भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। खसरा मिलान क्षेत्रफल पेश किया हैं जिसके अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 146 के गत खसरा नम्बर 85/6 था, गिरदावरी सम्वत 2010 से 2013 में गत खसरा नम्बर 85 में वादी व वादी के पूर्वज की काश्त दर्ज रिकार्ड नहीं हैं, सम्वत 2018–2021 में भी

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 86 मीन रकबा 3–11 बीघा गुमानसिंह पुत्र दयसिह तथा खसरा नम्बर 85 मीन रकबा 13–00 बीघा सांवतसिंह पुत्र बृजलालसिंह, खसरा नम्बर 85 मीन रकबा 11–10 बीघा भूमि मंगेजसिंह, नारायणसिंह उदेयसिंह, सांवतसिंह पुत्र बृजलालसिंह तथा चौथा पुत्र लिछमण बावरी के नाम दर्ज रिकार्ड हैं सम्वत 2024–2027 में खसरा नम्बर 85/5 रकबा 3–11 हैक्टयर भूमि गुमानसिह पुत्र उदेयसिंह तथा खसरा नम्बर 85/6 रकबा 13–00 बीघा भूमि सांवतसिंह पुत्र ब्रजलालसिंह तथा खसरा नम्बर 85/8 रकबा 11–10 बीघा भूमि मंगेजसिंह, नारायणसिह पि. उदेयसिंह, सांवतसिंह पुत्र ब्रजलालसिंह तथा चोथा पुत्र लिछमण बावरी की काश्त दर्ज रिकार्ड है। खसरा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत खसरा नम्बर 85/5 के नये खसरा नम्बर 134, खसरा नम्बर 85/6 के नये खसरा नम्बर 146 तथा खसरा न्बर 85/8 के नये खसरा नम्बर 137 कायम हुए है। जिसके अनुसार यह सावित होता हैं कि गत खसरा नम्वर 85/6 वर्तमान खसरा नम्बर 146 रकबा 1.73 हैक्टयर भूमि में वादी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा हैं शुरू से ही प्रतिवादी 2 से 4 व अन्य के पूर्वजो की खातेदारी व कब्जे काश्त में रही हैं। खसरा नम्बर 146 रकबा 1.73 हैक्टयर भूमि के प्रतिवादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज हैं जिससे तनकी संख्या 4 प्रतिवादी 2 से 4 के पक्ष में सावित होती है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार तनकी संख्या 1, 2 वादी के विरूद्ध तय होने से वादी अपना वाद साबित करने में असफल रहा हैं एवं तनकी संख्या 3, 4 प्रतिवादी 2 से 4 के पक्ष में सिद्ध होने से प्रतिवादी 2 से 4 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम साबित होता है। जिससे वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने व प्रतिवादी 2 से 4 का का काउन्टर क्लेम साबित होने से स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः वादी अपना वाद सिद्ध करने में असफल रहने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। प्रतिवादी 2 से 4 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम सिद्ध होने से स्वीकार किया जाकर वादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि ग्राम बाण्डाहेडा के खसरा नम्बर 146 रकबा 1.73 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी 2 से 4 के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी न तो स्वंय करे न अपने एजेन्टो से करावे। डिकी पर्चा जारी हो। यह आदेश आज दिनांक 25.2.20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

Scanned by CamScanner